कार्यालय काउंसिलिंग समिति
संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462 004.

बी.ई. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाईन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग

संस्था में प्रवेश का निरस्तीकरण हेतु सूचना
Notice for Cancellation of Admission

सत्र 2010–11 के लिये पीईटी–2010 के आधार पर ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग के प्रथम एवं द्वितीय चरणों के अपग्रेडेशन के उपरांत विभिन्न संस्थाओं/ब्रांचों की सीटें पूर्णतः आवंटित हो चुकी थी, उनमें Cancellation/Not Reported/Dropout के कारण कुछ रिक्तियां उत्पन्न हुई हैं। प्रथम एवं द्वितीय चरण को पूर्ण करने के उद्देश्य से दिनांक 17 सितम्बर, 2010 से 20 सितम्बर, 2010 तक ऑनलाइन काउंसिलिंग आयाजित की जा रही है। पूर्व प्रवेशित उम्मीदवारों को इस काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये दिनांक 16 सितम्बर, 2010 अपना प्रवेश निरस्त करवाना आवश्यक है।

काउंसिलिंग समिति के समक्ष उम्मीदवारों द्वारा शिकायतें प्रस्तुत की गई हैं जिससे यह प्रतीत होता है कतिपय कुछ संस्थाएं उनके प्रवेश निरस्त करने में आनाकानी कर रही हैं अथवा उन्हें निरस्तीकरण के लिये परेशान किया जा रहा है । निर्देशानुसार वे अपने शिकायती पत्र के साथ निम्नलिखित पांच सहायता केन्द्रों में से किसी भी एक सहायता केन्द्र पर उपस्थित होकर अपना प्रवेश दिनांक 16 सितंबर, 2010 अथवा उसके पूर्व कार्यालयीन समय में निरस्त करवा सकते हैं। निरस्त करवाने के लिये उम्मीदवारों को अपना आवंटन पत्र फोटो सहित, पहचान पत्र तथा संस्था में निरस्तीकरण के लिये दिये गये आवेदन की प्रति लाना आवश्यक होगा। निरस्तीकरण के पश्चात् दिनांक 17/09/2010 से 20/09/2010 तक आयोजित होने वाली काउंसिलिंग में ऐसे उम्मीदवार सम्मिलित हो सकते हैं।

1. स0व0 पोलीटेक्निक महाविद्यालय, भोपाल
2. एस.जी.एस.आई.टी.एस. इन्दौर
3. जबलपुर इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जबलपुर
4. एम.आई.टी.एस., ग्वालियर
5. रीवा इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रीवा

उक्त शिकायती पत्र की एक प्रतिलिपि प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, टैगोर हॉस्टल, श्यामला हिल्स, भोपाल में डाक से से भिजवायें।

भोपाल, 15/09/2010

अध्यक्ष, काउंसिलिंग समिति एवं
संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश